



UGC-NET

विधि

National Testing Agency (NTA)

पेपर 2 || भाग - 1



UGC NET पेपर – 2 (विधि)

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
इकाई - I : विधिशास्त्र		
1.	कानून की प्रकृति	1
2.	कानून और नैतिकता	16
3.	अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा	20
4.	कानूनी व्यक्तित्व	25
5.	संपत्ति, स्वामित्व और कब्जे की अवधारणाएँ	31
6.	दायित्व की अवधारणा	36
7.	कानून, गरीबी और विकास	42
8.	वैश्विक न्याय	48
9.	आधुनिकतावाद और उत्तर-आधुनिकतावाद	54
10.	अंतःविषय पहलू और PYQS	60
11.	केस कानून और वैधानिक प्रावधान	69
12.	न्यायशास्त्र में उभरते रुझान	76
13.	न्यायशास्त्र में नवीनतम अद्यतन	84
इकाई - II : संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि		
14.	प्रस्तावना – अवधारणाएँ, महत्व और न्यायिक व्याख्या	92
15.	मौलिक अधिकार	96
16.	मौलिक कर्तव्य – अनुच्छेद 51ए और इसकी भूमिका	111
17.	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत	116
18.	संघीय कार्यकारिणी – राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद्	126
19.	राज्य कार्यपालिका और संघ कार्यपालिका के साथ अंतर्संबंध	131
20.	संघीय विधानमंडल – संसद, विधायी प्रक्रिया और शक्तियाँ	136
21.	न्यायपालिका	141
22.	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान – अनुच्छेद 370, 371 और अन्य	151
इकाई - III : लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवता विधि		
23.	अन्तर्राष्ट्रीय कानून	157
24.	अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत	167
25.	राज्यों और सरकारों की मान्यता	177
26.	राष्ट्रीयता, आप्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति	187
27.	प्रत्यर्पण और शरण	199
28.	संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग	205
29.	अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा	217
30.	विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)	230
31.	अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) – सम्मेलन, प्रोटोकॉल और कार्यान्वयन चुनौतियाँ	237

परिचय

न्यायशास्त्र का अध्ययन कानून की प्रकृति और स्रोतों की खोज से शुरू होता है, जो कानूनी प्रणालियों और उनके परिचालन ढांचे के सार को समझने के लिए आधारभूत हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ परीक्षा के लिए, ये अवधारणाएँ महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आती हैं जो उम्मीदवारों की भारतीय संदर्भ में कानूनी स्रोतों की परिभाषा, वर्गीकरण और पदानुक्रम की समझ का परीक्षण करती हैं।

कानून की प्रकृति

कानून की परिभाषा

कानून नियमों की एक प्रणाली है, जिसे न्यायालयों या अन्य राज्य तंत्रों द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसे मानव आचरण को विनियमित करने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न न्यायविदों ने ऐसी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं जो विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं:

- **जॉन सैल्मंड** "कानून न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू सिद्धांतों का समूह है।" यह परिभाषा न्यायिक प्रक्रियाओं में कानून की भूमिका पर जोर देती है।
- **जॉन ऑस्टिन**: "कानून संप्रभु का आदेश है जो अनुमोदन द्वारा समर्थित है।" ऑस्टिन का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कानून की बाध्यकारी प्रकृति पर केंद्रित है।
- **एचएलए हार्ट** कानून प्राथमिक और द्वितीयक नियमों की एक प्रणाली है, जो दायित्व लागू करने वाले मानदंडों को नियम-निर्माण और न्यायनिर्णयन के नियमों के साथ जोड़ती है।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य** भारतीय संदर्भ में, कानून में संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक अधिनियम, न्यायिक मिसाल और प्रथागत प्रथाएं शामिल हैं, जैसा कि अनुच्छेद 13 के तहत भारतीय संविधान (1950) की सर्वोच्चता में देखा जा सकता है।

कानून की विशेषताएँ

कानून विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित करता है जो इसे अन्य मानक प्रणालियों (जैसे, नैतिकता, धर्म) से अलग करती हैं:

1. **मानक प्रकृति** कानून यह निर्धारित करता है कि व्यक्तियों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, तथा आचरण के लिए मानक निर्धारित करता है (उदाहरण के लिए, यातायात कानून गति सीमा निर्धारित करते हैं)।
2. **प्रवर्तनीयता** कानून को राज्य प्राधिकरण का समर्थन प्राप्त है, तथा न्यायालय और पुलिस जैसे तंत्र इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं (उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत दंड)।

3. **गतिशील गुणवत्ता** कानून सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होते हैं, जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की शुरुआत।

4. **सामान्य अनुप्रयोग** कानून एक वर्ग के व्यक्तियों या स्थितियों पर समान रूप से लागू होता है (उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों पर लागू होता है)।

5. **निश्चितता और पूर्वानुमान** कानून व्यवहार को निर्देशित करने के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करता है, जिससे मनमानी कम होती है (उदाहरण के लिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अनुबंध कानून)।

6. **प्रतिबंध समर्थित** अनुपालन न करने पर कारावास या जुर्माना जैसे दंड का प्रावधान है, लेकिन अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भारतीय संदर्भ भारतीय कानूनी प्रणाली सामान्य कानून (ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिली), वैधानिक कानून (संसदीय अधिनियम) और व्यक्तिगत कानूनों (हिंदू, मुस्लिम, आदि) का मिश्रण है। संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है।

कानून का वर्गीकरण

कानून को इसके दायरे, उद्देश्य और अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। UGC NET की तैयारी के लिए निम्नलिखित वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं:

1. सार्वजनिक बनाम निजी कानून:

- **सार्वजनिक कानून**: राज्य और व्यक्तियों के बीच या राज्य संस्थाओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:
 - संवैधानिक कानून: राज्य संस्थाओं को विनियमित करता है (जैसे, संविधान के अनुच्छेद 12-35)।
 - आपराधिक कानून: राज्य के विरुद्ध अपराधों को संबोधित करता है (उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता, 1860)।
 - प्रशासनिक कानून: कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करता है (जैसे, प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा)।
- **निजी कानून** व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के बीच संबंधों को विनियमित करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:
 - अनुबंध कानून: समझौतों को नियंत्रित करता है (उदाहरणार्थ, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872)।
 - टोर्ट कानून: नागरिक गलतियों (जैसे, लापरवाही, मानहानि) को संबोधित करता है।
 - पारिवारिक कानून: व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है (जैसे, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955)।

2. मूल कानून बनाम प्रक्रियात्मक कानून:

- **मूल कानून:** अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को परिभाषित करता है। उदाहरण:
 - भारतीय दंड संहिता, 1860: अपराध और दंड को परिभाषित करती है।
 - भारतीय संविदा अधिनियम, 1872: संविदा निर्माण और उसके उल्लंघन को निर्दिष्ट करता है।
- **प्रक्रियात्मक कानून:** मौलिक अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उदाहरण:
 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: सिविल मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं की रूपरेखा।
 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करती है।

3. नगरपालिका बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- **नगरपालिका कानून** किसी राज्य के घरेलू कानून, जो उसके क्षेत्र में लागू हों (जैसे, भारतीय कानून)।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून:** राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है (उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1961)।
- **भारतीय संदर्भ** अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत में अभी बाध्यकारी होता है जब उसे घरेलू कानून में शामिल कर लिया जाता है (उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में CEDAW सिद्धांत)।
- **परीक्षा प्रासंगिकता:** पी.वाई.क्यू. अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समावेशन या अद्वैतवादी बनाम द्वैतवादी बहस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

4. सिविल बनाम आपराधिक कानून:

- **सिविल कानून:** निजी गलतियों को संबोधित करता है, तथा मुआवजा या निषेधाज्ञा (जैसे, लापरवाही के लिए टोर्ट दावे) जैसे उपचार प्रदान करता है।
- **फौजदारी कानून:** सार्वजनिक अपराधों के लिए कारावास या जुर्माना (जैसे, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के तहत चोरी) जैसे दंड का प्रावधान।
- **परीक्षा प्रासंगिकता** प्रश्न अक्सर सिविल और आपराधिक उपचारों के बीच अंतर या मानहानि जैसे मामलों में ओवरलैप का परीक्षण करते हैं।

5. लिखित बनाम अलिखित कानून:

- **लिखित कानून** संहिताबद्ध कानून, जैसे कानून और संविधान (जैसे, भारत का संविधान)।
- **अलिखित कानून** इसमें रीति-रिवाज, परंपराएं और न्यायिक मिसालें (जैसे, प्रथागत हिंदू कानून) शामिल हैं।
- **परीक्षा प्रासंगिकता:** पी.वाई.क्यू. भारत में अलिखित कानूनों की वैधता का पता लगा सकते हैं।

तालिका: कानून का वर्गीकरण

वर्ग	विवरण	उदाहरण
सार्वजनिक कानून	राज्य-नागरिक या राज्य-राज्य संबंध	संविधान, आईपीसी, प्रशासनिक कानून

निजी कानून	व्यक्ति-व्यक्ति संबंध	अनुबंध अधिनियम, अपकृत्य, पारिवारिक कानून
मूल कानून	अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है	आईपीसी, अनुबंध अधिनियम
प्रक्रियात्मक कानून	प्रवर्तन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है	सीपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम
नगरपालिका कानून	किसी राज्य के घरेलू कानून	भारतीय कानून
अंतर्राष्ट्रीय कानून	राज्यों के बीच संबंध	संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विश्व व्यापार संगठन समझौते
सिविल कानून	निजी गलतियों के लिए उपाय	अपकृत्य, अनुबंध विवाद
फौजदारी कानून	सार्वजनिक गलतियों के लिए दंड	आईपीसी अपराध

भारतीय संदर्भ:

- भारत की न्याय व्यवस्था बहुलवादी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - **सामान्य विधि** ब्रिटिश शासन के न्यायिक उदाहरण, स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे (जैसे, अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले)।
 - **वैधानिक कानून** संसदीय एवं राज्य विधान (जैसे, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)।
 - **व्यक्तिगत कानून** धार्मिक या प्रथागत प्रथाओं द्वारा शासित (जैसे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; मुस्लिम पर्सनल लॉ)।
 - **संवैधानिक कानून** संविधान मूल नियम है, जिसमें अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करता है।

केस लॉ:

- **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952):** संवैधानिक कानून की वैधानिक कानून पर सर्वोच्चता पर बल दिया गया, समानता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 14 की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** संविधान की प्रधानता को सुदृढ़ करते हुए मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई।

कानून के स्रोत

कानून के स्रोत वे स्रोत हैं जिनसे कानूनी नियम अपना अधिकार और वैधता प्राप्त करते हैं। उन्हें भारतीय कानूनी प्रणाली में स्पष्ट पदानुक्रम के साथ प्राथमिक (बाध्यकारी) और द्वितीयक (प्रेरक) स्रोतों में वर्गीकृत किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्रोत अपने अधिकार क्षेत्र में आधिकारिक और बाध्यकारी होते हैं। इनमें कानून, मिसाल और प्रथा शामिल हैं।

1. विधान

विधान से तात्पर्य किसी सक्षम प्राधिकारी, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से है, तथा इसमें संविधि, अध्यादेश और प्रत्यायोजित विधान शामिल हैं।

• प्रकार:

- **विधियों** संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून (जैसे, भारतीय दंड संहिता, 1860; कंपनी अधिनियम, 2013)।
- **अध्यादेशों** जब विधानमंडल सत्र में न हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लागू किये गये अस्थायी कानून (जैसे, संविधान का अनुच्छेद 123)।
- **प्रत्यायोजित विधान** वैधानिक शक्तियों के तहत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम, विनियम या उपनियम (जैसे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई विनियम)।

• विशेषताएँ:

- अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च, संविधान के अधीन।
- स्पष्ट, संहिताबद्ध और सुलभ।
- यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह प्रथाओं या मिसालों को दरकिनार कर सकता है।

• भारतीय संदर्भ:

- केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू होता है (जैसे, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017)।
- राज्य का कानून राज्य की सीमाओं के भीतर लागू होता है (उदाहरण के लिए, तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम)।
- प्रशासनिक जटिलता (जैसे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण विनियम) के कारण प्रत्यायोजित विधान का महत्व बढ़ता जा रहा है।

• न्यायिक निरीक्षण:

- यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकते हैं (अनुच्छेद 13)।
- प्रत्यायोजित विधान अत्यधिक प्रत्यायोजन या अधिकार क्षेत्र से परे (अल्ट्रा वायर्स) के लिए जांच के अधीन है।

• केस लॉ:

- **शिव नाथ बनाम भारत संघ (1965)** प्रत्यायोजित विधान की वैधता को बरकरार रखा, बशर्ते कि यह मूल विधान के उद्देश्यों के अनुरूप हो।
- **हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1960)** वैधानिक प्राधिकार का अतिक्रमण करने के कारण प्रत्यायोजित विधान को रद्द कर दिया गया।

2. मिसाल (न्यायिक निर्णय)

मिसाल से तात्पर्य न्यायिक निर्णयों से है जो भविष्य के मामलों के लिए बाध्यकारी या प्रेरक प्राधिकार के रूप में कार्य करते हैं, जो स्टेयर डेसीसिस (निर्णय लिए गए निर्णय पर कायम रहना) के सिद्धांत पर आधारित होते हैं।

• प्रकार:

- **बाध्यकारी मिसालें** उच्च न्यायालयों के निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले)।
- **प्रेरक मिसालें** निचली अदालतों, विदेशी अदालतों या ओबिटर डिक्टा (गैर-बाध्यकारी टिप्पणियाँ) के निर्णय प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं हैं।

• मिसाल के घटक:

- **अनुपात निर्णय** निर्णय का आधार बनाने वाला कानूनी सिद्धांत, जो भविष्य के मामलों में बाध्यकारी होता है।
- **द्विअर्थी:** आकस्मिक टिप्पणियाँ, प्रेरक परंतु बाध्यकारी नहीं।

• भारतीय संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, और इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं (अनुच्छेद 141)।
- उच्च न्यायालय के निर्णय निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र में बांधते हैं।
- संवैधानिक कानून, अपकृत्यों तथा सीमित वैधानिक कवरेज वाले क्षेत्रों में मिसालें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• ऐतिहासिक मामले:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित किया गया।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** उचित प्रक्रिया और प्रक्रियागत निष्पक्षता को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए, जिससे विधायी कमी पूरी हो गई।

• चुनौतियाँ:

- खारिज करना: उच्च न्यायालय पुराने निर्णयों को खारिज कर सकते हैं।
- परस्पर विरोधी मिसालें: न्यायालय सबसे अधिक प्रामाणिक या नवीनतम निर्णय को प्राथमिकता देकर विवादों का समाधान करते हैं।

3. कस्टम

प्रथा से तात्पर्य किसी समुदाय द्वारा बाध्यकारी मानी जाने वाली दीर्घकालिक प्रथाओं से है, जिन्हें परस्पर विरोधी कानूनों या मिसालों के अभाव में कानून के स्रोत के रूप में मान्यता दी जाती है।

• वैधता हेतु आवश्यकताएँ:

- **प्राचीन काल:** लंबे समय से अस्तित्व में होना चाहिए (जैसे, सामान्य कानून में अति प्राचीन काल से)।
- **निरंतरता:** बिना किसी रुकावट के अभ्यास किया जाना चाहिए।
- **तर्कसंगतता:** सार्वजनिक नीति और नैतिकता के अनुरूप होना चाहिए।
- **यक़ीन:** स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए।
- **स्थिरता:** अन्य रीति-रिवाजों या कानूनों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए।

• भारतीय संदर्भ:

- हिन्दू और मुस्लिम पारिवारिक कानूनों जैसे व्यक्तिगत कानूनों में रीति-रिवाज महत्वपूर्ण हैं।

- **उदाहरण:**
 - हिंदू विवाह रीति-रिवाज (जैसे, हिंदू विवाह में सप्तपदी)।
 - उत्तराधिकार में जनजातीय रीति-रिवाज (जैसे, कुछ अनुसूचित जनजातियों के बीच)।
- वैधानिक मान्यता: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, पारंपरिक तलाक प्रथाओं को मान्यता देता है।
- **न्यायिक मान्यता:**
 - **मदुरा के कलेक्टर बनाम मुट्टू रामलिंगा (1868):** यह माना गया कि यदि कोई प्रथा प्राचीन, उचित और निश्चित साबित हो जाए तो वह लिखित कानून पर हावी हो जाती है।
 - **हरला बनाम राजस्थान राज्य (1951)** इस बात पर बल दिया गया कि रीति-रिवाजों को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य माना जाना चाहिए।
- **सीमाएँ:**
 - सीमा शुल्क कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं।
 - मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए (उदाहरण के लिए, भेदभावपूर्ण रीति-रिवाजों को अनुच्छेद 14 के तहत समाप्त किया जा सकता है)।

द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक स्रोत प्रेरक होते हैं, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब प्राथमिक स्रोत अस्पष्ट या अनुपस्थित होते हैं।

1. न्यायिक लेखन

न्यायिक लेखन में कानूनी विद्वानों द्वारा लिखित विद्वत्तापूर्ण कार्य, टिप्पणियाँ और ग्रंथ शामिल होते हैं, जो कानूनों की व्याख्या करने में न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं।

● भूमिका:

- जटिल कानूनी अवधारणाओं को स्पष्ट करें।
- जब प्राथमिक स्रोत अस्पष्ट हों तो न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करें।
- उभरते क्षेत्रों (जैसे, पर्यावरण कानून) के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करना।

● भारतीय संदर्भ:

- वी.डी. महाजन के न्यायशास्त्र और विधिक सिद्धांत का भारतीय विधिक शिक्षा में व्यापक रूप से उल्लेख किया जाता है।
- एमपी जैन का भारतीय संवैधानिक कानून संवैधानिक मामलों में प्रेरक है।
- सैल्मंड, ऑस्टिन और हार्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों का संदर्भ भारतीय न्यायालयों में दिया जाता है।

● उदाहरण:

- न्यायालयों ने विधिक सिद्धांत से संबंधित मामलों में सैल्मंड की विधि की परिभाषा का हवाला दिया है।
- संविधान पर डीडी बसु की टिप्पणी ने न्यायिक व्याख्याओं को प्रभावित किया है।

2. समानता, न्याय और अच्छा विवेक

यह सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं होता है, जिससे अदालतें निष्पक्षता और नैतिकता के आधार पर निर्णय ले पाती हैं।

● ऐतिहासिक भूमिका:

- ब्रिटिश प्रशासन के तहत औपनिवेशिक भारत में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है (जैसे, व्यक्तिगत कानून विवादों में)।
- कुछ कानूनों में संहिताबद्ध (जैसे, अवध कानून अधिनियम, 1876)।

● भारतीय संदर्भ:

- व्यक्तिगत कानूनों में यह अभी भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से संहिताबद्ध नियमों के अभाव में (जैसे, मुस्लिम कानून के मामले)।
- न्यायालय अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने या विधायी अंतराल को भरने के लिए समानता का सहारा ले सकते हैं।

● केस लॉ:

- **गुरम्मा बनाम मल्लप्पा (1964)** सर्वोच्च न्यायालय ने असंहिताबद्ध हिंदू कानून से संबंधित पारिवारिक कानून विवाद को सुलझाने के लिए समानता का प्रयोग किया।

अन्य स्रोत

1. संविधान:

- भारत का संविधान कानून का सर्वोच्च स्रोत है, जो अन्य सभी कानूनों पर हावी है (अनुच्छेद 13)।
- यह कानून निर्माण, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
- उदाहरण: अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या से नए अधिकार सामने आए हैं (उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 में निजता का अधिकार)।

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- भारत में यह अभी बाध्यकारी होगा जब इसे घरेलू कानून में शामिल कर लिया जाएगा।
- उदाहरण: महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को प्रभावित किया।

3. धार्मिक ग्रंथ:

- व्यक्तिगत कानूनों में प्रासंगिक, जैसे मनुस्मृति (हिंदू कानून), कुरान (मुस्लिम कानून), और बाइबिल (ईसाई कानून)।
- उदाहरण: मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 के तहत कुरान के सिद्धांत मुस्लिम उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं।


4. पेशेवर राय:

- चिकित्सा या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की राय न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है (उदाहरण के लिए, चिकित्सा लापरवाही के मामले)।

तालिका: भारत में स्रोतों का पदानुक्रम

स्रोत	अधिकार	उदाहरण
संविधान	सर्वोच्च, सभी कानूनों को दरकिनार करता है	अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)
विधान	अधिकार क्षेत्र के भीतर बाध्यकारी	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
मिसाल	बाध्यकारी (SC/HC); प्रेरक (निचली अदालतें)	केशवानंद भारती मामला
रिवाज़	न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर बाध्यकारी	हिंदू विवाह रीति-रिवाज
न्यायवादी लेखन	प्रेरक	सैलमंड का न्यायशास्त्र
हिस्सेदारी	प्रेरक, कानून के अभाव में उपयोग किया जाता है	पारिवारिक कानून विवाद

फ्लोचार्ट : भारत में कानून के स्रोत



परीक्षा रुझान और PYQs

यूजीसी नेट लॉ परीक्षा में लगातार कानून की प्रकृति और स्रोतों पर जोर दिया गया है, जिसमें सैद्धांतिक, व्यावहारिक और अंतःविषय पहलुओं का परीक्षण करने वाले प्रश्न शामिल हैं। प्रमुख रुझानों में शामिल हैं:

- **सैद्धांतिक प्रश्न** न्यायविदों (जैसे, ऑस्टिन, सैलमंड, हार्ट) द्वारा कानून की परिभाषाएं और उनकी प्रासंगिकता।
- **व्यावहारिक प्रश्न** भारतीय कानून में स्रोतों का अनुप्रयोग, जैसे कि सीमा शुल्क या प्रत्यायोजित विधान की वैधता।
- **अंतःविषयक प्रश्न** संवैधानिक कानून (जैसे, न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 13 की भूमिका) और अंतर्राष्ट्रीय कानून (जैसे, संधियों का समावेश) के साथ संबंध।
- **केस-आधारित प्रश्न** केशवानंद भारती या मेनका गांधी जैसे ऐतिहासिक मामलों का अक्सर उल्लेख किया जाता है।

नमूना PYQs:

2022:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून का प्राथमिक स्रोत है?

- क) न्यायिक लेखन
बी) कस्टम
सी) इक्विटी
डी) अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

उत्तर: बी) कस्टम

स्पष्टीकरण यदि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो प्रथा प्राथमिक स्रोत है, जबकि न्यायिक लेखन और इक्विटी द्वितीयक हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ केवल तभी बाध्यकारी होती हैं जब उन्हें सम्मिलित किया गया हो।

2021:

प्रश्न: स्टेयर डेसीसिस का सिद्धांत कानून के किस स्रोत से जुड़ा है?

- ए) विधान
बी) मिसाल
सी) कस्टम
डी) इक्विटी

उत्तर: बी) मिसाल

स्पष्टीकरण स्टेयर डेसीसिस न्यायिक मिसालों, विशेष रूप से अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को संदर्भित करता है।

2020:

प्रश्न: किस मामले ने अन्य कानूनों पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की?

- ए) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
बी) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
सी) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
डी) अनवर अली सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

उत्तर: ए) केशवानंद भारती

स्पष्टीकरण मूल संरचना सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।

PYQs का विश्लेषण:

- उच्च-महत्व वाले विषय: मिसाल (अनुच्छेद 141, ऐतिहासिक मामले), प्रथा (वैधता आवश्यकताएँ), और कानून (प्रत्यायोजित कानून)।
- उभरते क्षेत्र: स्रोतों को आकार देने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संवैधानिक कानून की भूमिका।

प्रमुख मामले कानून

1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

- मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, जिससे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित हो गई।
- प्रासंगिकता: संविधान को कानून के सर्वोच्च स्रोत के रूप में पुष्ट करता है।

2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया, जिससे संवैधानिक व्याख्या में मिसालों की भूमिका प्रदर्शित हुई।

3. मदुरा के कलेक्टर बनाम मुद्दू रामलिंगा (1868):

- यह माना गया कि यदि कोई प्रथा प्राचीन, उचित और निश्चित सिद्ध हो जाए तो वह लिखित कानून पर हावी हो जाती है।

4. शिव नाथ बनाम भारत संघ (1965):

- प्रत्यायोजित विधान की वैधता को बरकरार रखा गया, बशर्ते कि वह मूल विधान के अनुरूप हो।

5. हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1960):

- वैधानिक प्राधिकार का अतिक्रमण करने के कारण प्रत्यायोजित विधान को रद्द कर दिया गया।


6. हरला बनाम राजस्थान राज्य (1951):

- इस बात पर बल दिया गया कि रीति-रिवाज उचित तथा निश्चित रूप से लागू होने योग्य होने चाहिए।


7. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):

- संविधान की गतिशील व्याख्या को दर्शाते हुए अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

ग्राफ: भारत में कानूनी स्रोतों का विकास



आरेख: कानून और उसकी विशेषताओं के बीच संबंध



निष्कर्ष

कानून की प्रकृति और स्रोत न्यायशास्त्र की आधारशिला हैं, जो कानूनी प्रणालियों और उनके अनुप्रयोग को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। UGC NET JRF कानून के लिए, इस विषय में महारत हासिल करने के लिए सैद्धांतिक परिभाषाओं, भारतीय कानूनी प्रणाली की बहुलवादी प्रकृति और ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से न्यायिक व्याख्याओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्रोत (संविधान, कानून, मिसाल, प्रथा) कानूनी प्रणाली की रीढ़ बनाते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत (न्यायिक लेखन, इक्विटी) एक पूरक भूमिका निभाते हैं।

न्यायशास्त्र के स्कूल

परिचय

न्यायशास्त्र के स्कूल कानून की प्रकृति, उद्देश्य और कार्य को समझने के लिए अलग-अलग दार्शनिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। UGC NET JRF कानून परीक्षा के लिए, यह विषय यूनिट 1 की आधारशिला है, जिसका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है जो उम्मीदवारों के प्रमुख स्कूलों (जैसे, प्राकृतिक कानून, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद, ऐतिहासिक स्कूल), उनके समर्थकों और भारतीय कानूनी संदर्भ में उनके आवेदन के ज्ञान की जांच करते हैं। यह व्यापक नोट एक संपूर्ण, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय संसाधन प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि UGC NET कानून परीक्षा में कोई भी प्रश्न इसके दायरे से बाहर न हो।

न्यायशास्त्र के स्कूल: अवलोकन

न्यायशास्त्र, कानून का दर्शन, विभिन्न विद्यालयों में विभाजित है जो कानून की उत्पत्ति, अधिकार और नैतिकता, समाज और इतिहास के साथ संबंधों की प्रतिस्पर्धी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विद्यालय एक अद्वितीय लेंस को दर्शाता है जिसके माध्यम से कानून का विश्लेषण किया जाता है:

- **प्राकृतिक कानून** मानव स्वभाव या दैवीय इच्छा में निहित सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर जोर देता है।
- **विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद:** कानून को एक संप्रभु द्वारा लागू नियमों की प्रणाली के रूप में, नैतिकता से स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
- **ऐतिहासिक स्कूल:** कानून को समाज के इतिहास, संस्कृति और रीति-रिवाजों के एक जैविक उत्पाद के रूप में देखता है।
- **समाजशास्त्रीय स्कूल** सामाजिक इंजीनियरिंग और सामाजिक हितों में संतुलन बनाने में कानून की भूमिका की जांच करता है।
- **यथार्थवादी स्कूल:** कानून को न्यायिक व्यवहार और व्यावहारिक परिणामों द्वारा आकारित माना जाता है।
- **महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन:** कानून को शक्ति और असमानता के एक उपकरण के रूप में आलोचना करता है।

परीक्षा प्रासंगिकता: PYQs अक्सर परीक्षण करते हैं:

- परिभाषाएँ और प्रमुख विचारक (उदाहरण के लिए, प्राकृतिक कानून के लिए एक्विनास, प्रत्यक्षवाद के लिए ऑस्टिन)।
- स्कूलों के बीच तुलना (जैसे, प्राकृतिक कानून बनाम प्रत्यक्षवाद)।
- भारतीय मामलों में अनुप्रयोग (जैसे, प्राकृतिक कानून में संवैधानिक नैतिकता)।

1. नेचुरल लॉ स्कूल

परिभाषा और मूल सिद्धांत

प्राकृतिक कानून यह मानता है कि कानून मानव स्वभाव, ईश्वरीय इच्छा या तर्क में निहित सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय नैतिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। ये सिद्धांत मानव निर्मित कानूनों से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं और सकारात्मक (मानव निर्मित) कानून के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में काम करते हैं।

• मूल सिद्धांत:

- कानून नैतिकता, न्याय या दैवीय व्यवस्था में निहित है।
- प्राकृतिक कानून के साथ विरोधाभासी सकारात्मक कानून अन्यायपूर्ण होते हैं तथा उनमें वैधता का अभाव होता है।
- मानवीय तर्क या दैवीय रहस्योद्घाटन प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों को उजागर करता है।

• ऐतिहासिक विकास:

- **प्राचीन काल** यूनानी दार्शनिकों (सुकरात, प्लेटो, अरस्तू) ने कानून को न्याय और सदाचार से जोड़ा।
- **मध्यकाल** ईसाई धर्मशास्त्रियों (संत ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास) ने कानून को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ा।
- **आधुनिक काल** धर्मनिरपेक्ष विचारकों (हॉब्स, लोके, रूसो) ने तर्क और सामाजिक अनुबंधों पर जोर दिया।
- **समकालीन काल** मानव अधिकारों और संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से पुनरुत्थान (उदाहरणार्थ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948)।

प्रमुख विचारक:

1. थॉमस एक्विनास (1225-1274):

- कानून को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "सामान्य भलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रख्यापित तर्क का अध्यादेश।"
- कानून को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
 - **शाश्वत कानून:** ब्रह्माण्ड को नियंत्रित करने वाली परमेश्वर की दिव्य योजना।
 - **दैवीय कानून:** परमेश्वर की प्रकट इच्छा (जैसे, दस आज्ञाएँ)।
 - **प्राकृतिक कानून** तर्क के माध्यम से शाश्वत कानून में मानव की भागीदारी।
 - **मानव कानून** सकारात्मक कानून, प्राकृतिक कानून के साथ संरेखित होने पर वैध।
- **योगदान:** तर्क दिया कि अन्यायपूर्ण कानून (प्राकृतिक कानून के विपरीत) सच्चे कानून नहीं हैं बल्कि "कानून का विकृतिकरण" हैं।

2. जॉन लोके (1632-1704):

- प्राकृतिक कानून को व्यक्तिगत अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति) से जोड़ा गया।
- आधुनिक संविधानवाद और मानव अधिकारों को प्रभावित किया।

3. इमैनुअल कांट (1724-1804):

- कानून के आधार के रूप में तर्कसंगत नैतिक सिद्धांतों (स्पष्ट अनिवार्यताओं) पर जोर दिया।
- कानून को मानव गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।

भारतीय संदर्भ:

- प्राकृतिक कानून के सिद्धांत भारत के संविधान में विशेष रूप से निम्नलिखित में प्रतिबिंबित होते हैं:
 - **मौलिक अधिकार** (अनुच्छेद 14-32): लॉक के विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करें।

- **संवैधानिक नैतिकता** न्यायालयों ने कानूनों की व्याख्या करने के लिए नैतिकता का सहारा लिया है (उदाहरण के लिए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018, धारा 377 आईपीसी के तहत समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना)।

- व्यक्तिगत कानून (हिंदू, मुस्लिम) अक्सर नैतिक या धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो प्राकृतिक कानून के उच्च मानदंडों पर जोर देने के साथ संरेखित होते हैं।

केस कानून:

1. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता और मानवीय गरिमा का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कुछ हिस्सों को निरस्त कर दिया, जो सार्वभौमिक अधिकारों पर प्राकृतिक कानून के फोकस के अनुरूप है।

2. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):

- प्राकृतिक कानून में निहित मानवीय गरिमा पर जोर देते हुए, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- प्रक्रियागत निष्पक्षता को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया, जो न्यायपूर्ण कानूनों के लिए प्राकृतिक कानून की मांग को प्रतिबिंबित करता है।

आलोचनाओं:

- **आत्मीयता** प्राकृतिक कानून की नैतिकता या तर्क पर निर्भरता अस्पष्ट है, जिसके कारण असंगत व्याख्याएं होती हैं।
- **प्रत्यक्षवाद के साथ संघर्ष** प्रत्यक्षवादी (जैसे, ऑस्टिन) तर्क देते हैं कि कानून की वैधता नैतिकता पर निर्भर नहीं करती है।
- **सांस्कृतिक सापेक्षवाद** सार्वभौमिक सिद्धांत विविध संस्कृतियों पर लागू नहीं हो सकते।

2. विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद

परिभाषा और मूल सिद्धांत

विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद कानून को एक संप्रभु प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या आदेशों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो प्रतिबंधों के माध्यम से लागू होता है, और नैतिकता, न्याय या सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है।

• मूल सिद्धांत:

- कानून मानवीय इच्छा का उत्पाद है, दैवीय या नैतिक सिद्धांतों का नहीं।
- कानून की वैधता उसके स्रोत (संप्रभु प्राधिकार) पर निर्भर करती है, उसकी विषय-वस्तु पर नहीं।
- कानून और नैतिकता का पृथक्करण: "कानून क्या है?", "कानून कैसा होना चाहिए?" से अलग है।
- **केंद्रतर्क और संरचना** के माध्यम से कानूनी अवधारणाओं (जैसे, अधिकार, कर्तव्य, संप्रभुता) का विश्लेषण।

प्रमुख विचारक:

1. जेरेमी बेन्थम (1748-1832):

- कानून को एक संप्रभु द्वारा प्रजा के शासन के लिए निर्धारित नियमों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- उपयोगितावाद की वकालत की गई: कानूनों को "अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख" को अधिकतम करना चाहिए।
- अमूर्त सिद्धांतों पर निर्भरता के कारण प्राकृतिक कानून की आलोचना करते हुए इसे "बकवास" बताया।
- योगदान: कानून के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया, संहिताकरण और कानूनी सुधार पर जोर दिया।

2. जॉन ऑस्टिन (1790-1859):

- कानून को "अनुमोदन द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ऑस्टिन के सिद्धांत के तत्व:
 - आज्ञाकार्य करने या न करने का निर्देश।
 - सार्वभौमबहुमत द्वारा आदतन पालन किया जाने वाला प्राधिकार।
 - प्रतिबंध अवज्ञा के लिए दंड (जैसे, कारावास, जुर्माना)।
- कानून को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
 - सकारात्मक कानूनमानव निर्मित कानून जो राज्य द्वारा लागू किये जा सकते हैं।
 - दैवीय कानूनईश्वर की आज्ञाएँ (ऑस्टिन के अर्थ में कानून नहीं)।
 - सकारात्मक नैतिकता: गैर-कानूनी मानदंड (जैसे, रीति-रिवाज, नैतिकता)।
- योगदान: कानून के विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट, औपचारिक रूपरेखा प्रदान की।

3. एचएलए हार्ट (1907-1992):

- "कानून की अवधारणा" को पेश करके ऑस्टिन के सिद्धांत को संशोधित किया गया:
 - कानून प्राथमिक नियमों (दायित्वों को लागू करने) और द्वितीयक नियमों (नियम बनाने, न्यायनिर्णयन और परिवर्तन के लिए) की एक प्रणाली है।
 - ऑस्टिन के कमांड सिद्धांत को खारिज कर दिया, कानून के "आंतरिक पहलू" (समाज द्वारा स्वीकृति) पर जोर दिया।
- योगदान: सामाजिक स्वीकृति और नियम-आधारित प्रणालियों को शामिल करके ऑस्टिन की आलोचनाओं को संबोधित किया।

4. हंस केल्सन (1881-1973):

- "विधि का शुद्ध सिद्धांत" विकसित किया, जिसमें कानून को ग्रुंडनॉर्म (मूल मानदंड) से प्राप्त मानदंडों के पदानुक्रम के रूप में देखा गया।
- कानून की वैधता मानक पदानुक्रम में उसके स्थान पर निर्भर करती है, नैतिकता पर नहीं।
- योगदान: कानूनी प्रणालियों का एक औपचारिक, पदानुक्रमित मॉडल प्रदान किया।

भारतीय संदर्भ:

- विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद भारत के वैधानिक ढांचे में स्पष्ट है, जहां कानूनों को राज्य से अधिकार प्राप्त होता है (उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता, 1860; आयकर अधिनियम, 1961)।
- केल्सन के सिद्धांत के अनुसार संविधान मूल नियम है, जो सभी कानूनों के लिए आधार प्रदान करता है (अनुच्छेद 13)।
- न्यायालय नैतिक विषय-वस्तु के बजाय उनके स्रोत (संसद, राज्य विधानमंडल) के आधार पर कानूनों की वैधता को बरकरार रखते हैं, जब तक कि वे संविधान का उल्लंघन न करते हों।

केस कानून:

1. एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):

- आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें केवल प्रक्रियागत अनुपालन की आवश्यकता है, न कि मूलभूत न्याय की।

2. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952):

- प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले विधायी स्रोत के आधार पर कानून की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण इसे रद्द कर दिया।

3. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):

- अस्पष्टता के कारण आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को निरस्त कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि सकारात्मक कानूनों को अभी भी संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

आलोचनाओं:

- नैतिकता की अनदेखी आलोचकों (जैसे, फुलर) का तर्क है कि कानून को नैतिकता से अलग करना अन्यायपूर्ण कानूनों (जैसे, नाजी कानून) को वैधता प्रदान करता है।
- अति सरलीकरण ऑस्टिन का कमांड सिद्धांत कई स्रोतों (जैसे, रीति-रिवाज, मिसाल) वाली जटिल कानूनी प्रणालियों को समझने में विफल रहता है।
- सामाजिक संदर्भ की उपेक्षा प्रत्यक्षवाद सामाजिक परिवर्तन या न्याय में कानून की भूमिका को नजरअंदाज करता है।

3. ऐतिहासिक स्कूल

परिभाषा और मूल सिद्धांत

ऐतिहासिक स्कूल कानून को समाज के इतिहास, संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं का एक जैविक उत्पाद मानता है, जो किसी संप्रभु द्वारा थोपे जाने या सार्वभौमिक सिद्धांतों से उत्पन्न होने के बजाय समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।

• मूल सिद्धांत:

- कानून "लोगों की भावना" को प्रतिबिंबित करता है (वोल्क्सगेइस्ट, सेविग्री के अनुसार)।
- कानून का निर्माण नहीं होता बल्कि वह सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से स्वतः विकसित होता है।
- रीति-रिवाज और परंपराएं कानून के प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि विधान निर्माण की भूमिका गौण है।

• केंद्रकानूनी विकास का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ।

प्रमुख विचारक:

1. फ्रेडरिक कार्ल वॉन सविग्री (1779-1861):

- ऐतिहासिक स्कूल के संस्थापक।
- तर्क दिया गया कि कानून वोल्क्सगेइस्ट (लोगों की राष्ट्रीय भावना या चेतना) में निहित है।
- संहिताकरण का विरोध किया (जैसे, नेपोलियन संहिता) क्योंकि यह जैविक कानूनी विकास को बाधित करता है।
- योगदान: रीति-रिवाजों और परंपराओं के माध्यम से कानून के ऐतिहासिक विकास पर जोर दिया।

2. जॉर्ज फ्रेडरिक पुच्चा (1798-1846):

- साविग्री के विचारों का विस्तार किया, प्रथागत कानून की व्याख्या में न्यायविदों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।
- कानून को लोकप्रिय चेतना और विद्वानों की व्याख्या दोनों का उत्पाद माना जाता है।

3. सर हेनरी मेन (1822-1888):

- कानूनी प्रणालियों के "स्थिति से अनुबंध तक" संक्रमण का विश्लेषण किया गया:
 - स्थितिजन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर अधिकार और कर्तव्य (जैसे, प्राचीन भारत में जाति)।
 - अनुबंधव्यक्तिगत समझौतों पर आधारित अधिकार और कर्तव्य (जैसे, आधुनिक अनुबंध कानून)।
- योगदान: कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण प्रदान किया।

भारतीय संदर्भ:

- ऐतिहासिक स्कूल भारत की बहुलवादी कानूनी प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां रीति-रिवाज और परंपराएं व्यक्तिगत कानूनों को आकार देती हैं:
 - **हिंदू कानून:** मनुस्मृति जैसे ग्रंथों और प्रचलित प्रथाओं (जैसे, विवाह में सप्तपदी) से व्युत्पन्न।
 - **मुस्लिम कानून** कुरानिक सिद्धांतों और सामुदायिक प्रथाओं (जैसे, उत्तराधिकार नियम) पर आधारित।
 - **जनजातीय कानून** अनुसूचित जनजातियों के बीच प्राचीन रीति-रिवाजों द्वारा शासित।
- वैधानिक संहिताकरण (उदाहरणार्थ, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955) प्रथागत कानून और आधुनिक विधान का मिश्रण दर्शाता है, जो क्रमिक कानूनी विकास के बारे में सविग्री के दृष्टिकोण से मेल खाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथागत कानून को तब मान्यता दी है जब वह वैधता आवश्यकताओं (प्राचीनता, तर्कसंगतता, निश्चितता) को पूरा करता है।

केस कानून:

1. मदुरा के कलेक्टर बनाम मुट्टू रामलिंगा (1868):

- यह माना गया कि यदि कोई प्रथा प्राचीन, उचित और निश्चित सिद्ध हो तथा ऐतिहासिक स्कूल के सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित करती हो तो वह लिखित कानून पर हावी हो जाती है।

2. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रचलित प्रथाओं की ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता दी गई।

3. गुरम्मा बनाम मल्लप्पा (1964):

- हिंदू कानून में एक प्रचलित प्रथा को कायम रखा तथा इसकी ऐतिहासिक निरंतरता पर बल दिया।

आलोचनाओं:

- **रूढ़िवाद** परंपरा पर अत्यधिक जोर प्रगतिशील सुधारों (जैसे, भेदभावपूर्ण रीति-रिवाजों को समाप्त करना) का विरोध कर सकता है।
- **सीमित प्रयोज्यता** आधुनिक, संहिताबद्ध कानूनी प्रणालियों में कम प्रासंगिक।
- **अस्पष्टता** वोक्सगेइस्ट की अवधारणा अमूर्त है और इसे सार्वभौमिक रूप से लागू करना कठिन है।


स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका: प्राकृतिक कानून, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद और ऐतिहासिक स्कूल की तुलना

पहलू	प्राकृतिक कानून	विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद	ऐतिहासिक स्कूल
परिभाषा	सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों से व्युत्पन्न कानून	कानून संप्रभु आदेश के रूप में, नैतिकता से स्वतंत्र	इतिहास और रीति-रिवाजों का उत्पाद के रूप में कानून
प्रमुख विचारक	एकिनास, लोके, कांट	बेथम, ऑस्टिन, हार्ट, केल्सन	सविग्री, पुच्चा, मेन
कानून का आधार	नैतिकता, तर्क, ईश्वरीय इच्छा	संप्रभु अधिकार	वोक्सजिस्ट, रीति-रिवाज, परंपराएँ
नैतिकता की भूमिका	केंद्रीय; अन्यायपूर्ण कानून अमान्य हैं	अप्रासंगिक; कानून की वैधता स्रोत-आधारित है	गौण; रीति-रिवाज सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं

भारतीय आवेदन	संवैधानिक नैतिकता, मौलिक अधिकार	वैधानिक कानून, सर्वोच्चता	संवैधानिक व्यक्तिगत कानून, प्रथागत प्रथाएं
प्रमुख मामले	नवतेज जोहर, पुट्टस्वामी	ए.के. गोपालन, श्रेया सिंघल	मदुरा की कलेक्टर, शायरा बानो
आलोचनाओं	व्यक्तिपरक, सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष	नैतिकता की अनदेखी, कानून का अति सरलीकरण	रूढ़िवादी, आधुनिक प्रणालियों में कम प्रासंगिक

फ्लोचार्ट: न्यायशास्त्रीय स्कूलों का विकास



परीक्षा रुझान और PYQs

यूजीसी नेट लॉ परीक्षा में विधिशास्त्र के स्कूलों पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक आधार, प्रमुख विचारकों और भारतीय अनुप्रयोगों का परीक्षण करने वाले प्रश्न होते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल हैं:

- **सैद्धांतिक प्रश्न:** न्यायविदों की पहचान करना (उदाहरण के लिए, "कानून को आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया?" – ऑस्टिन)।
- **तुलनात्मक प्रश्न:** विपरीत विचारधाराएँ (जैसे, हार्ट-फुलर वाद-विवाद में प्राकृतिक कानून बनाम प्रत्यक्षवाद)।
- **अनुप्रयोग-आधारित प्रश्न:** स्कूलों को भारतीय मामलों से जोड़ना (उदाहरण के लिए, नवतेज जोहर में प्राकृतिक कानून)।
- **उभरते क्षेत्र** संवैधानिक नैतिकता, व्यक्तिगत कानूनों में रीति-रिवाजों की भूमिका।

नमूना PYQs:

2023:

प्रश्न: वोक्सगेइस्ट की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है?

- ए) जॉन ऑस्टिन
बी) फ्रेडरिक सविग्री
सी) थॉमस एक्विनास
डी) एचएलए हार्ट

उत्तर: बी) फ्रेडरिक सविग्री

स्पष्टीकरण सविग्री का ऐतिहासिक स्कूल कानून को राष्ट्रीय भावना (वोल्क्सगेइस्ट) का उत्पाद मानता है।

2022:

प्रश्न: कौन सा स्कूल कानून को नैतिकता से अलग करता है?

- ए) प्राकृतिक कानून
बी) विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद
सी) ऐतिहासिक स्कूल
डी) समाजशास्त्रीय स्कूल

उत्तर: बी) विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद

स्पष्टीकरण ऑस्टिन और हार्ट जैसे प्रत्यक्षवादियों का तर्क है कि कानून की वैधता उसके स्रोत पर निर्भर करती है, नैतिक विषय-वस्तु पर नहीं।

2021:

प्रश्न: कौन सा मामला भारतीय संविधान में प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों को दर्शाता है?

- ए) एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य
बी) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ
सी) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
D) मदुरा के कलेक्टर बनाम मुट्टू रामलिंगा

उत्तर: बी) नवतेज सिंह जौहर

स्पष्टीकरण समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना संवैधानिक नैतिकता और मानवीय गरिमा पर आधारित था, जो प्राकृतिक कानून के अनुरूप था।

प्रमुख मामले कानून

1. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- गरिमा और नैतिकता के प्राकृतिक कानून सिद्धांतों को लागू करते हुए समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया।

2. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):

- निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जो अंतर्निहित अधिकारों पर प्राकृतिक कानून के फोकस को दर्शाता है।

3. एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):

- सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया तथा अनुच्छेद 21 को प्रक्रियात्मक अनुपालन तक सीमित रखा गया।

4. मदुरा के कलेक्टर बनाम मुट्टू रामलिंगा (1868):

- ऐतिहासिक स्कूल के परंपरा पर जोर के साथ तालमेल बिठाते हुए, एक प्रथा की वैधता को कायम रखा।

5. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत कानून में रीति-रिवाजों की ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता दी गई।


6. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया, जो न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष कानूनों के लिए प्राकृतिक कानून की मांग को प्रतिबिंबित करता है।

7. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):

- आईटी अधिनियम की धारा 66ए को निरस्त कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सकारात्मक कानूनों को संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

आरेख: प्रत्येक स्कूल के मूल सिद्धांत



4. समाजशास्त्रीय स्कूल परिभाषा और मूल सिद्धांत

समाजशास्त्रीय विद्यालय कानून को सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए एक गतिशील साधन के रूप में देखता है, जिसे परस्पर विरोधी सामाजिक हितों को संतुलित करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने, परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और सद्भाव बनाए रखने में कानून की भूमिका पर जोर देता है।

• मूल सिद्धांत:

- कानून सामाजिक शक्तियों का उत्पाद है और इसे सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप ढलना चाहिए।
- कानून "सामाजिक इंजीनियरिंग" के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में सामंजस्य स्थापित करता है।
- कानूनी प्रणालियों का अध्ययन उनके सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- अनुभवजन्य अनुसंधान और कानूनों के व्यावहारिक प्रभाव पर जोर।

- केंद्रसामाजिक न्याय और स्थिरता प्राप्त करने में कानून का कार्य।

प्रमुख विचारक:

1. ऑगस्टे कॉम्टे (1798–1857):

- समाजशास्त्र के संस्थापक ने समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की।
- योगदान: कानून को एक सामाजिक घटना के रूप में देखने के लिए आधार तैयार किया।

2. यूजेन एर्लिच (1862–1922):

- "जीवित कानून" की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, जो कि समाज द्वारा वास्तव में पालन किये जाने वाले मानदंड हैं, जो कि विधानों में "आधिकारिक कानून" के विपरीत है।
- उन्होंने तर्क दिया कि कानून सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों से उभरता है, न कि केवल राज्य प्राधिकरण से।
- योगदान: औपचारिक कानून और सामाजिक व्यवहार के बीच अंतर पर प्रकाश डाला।

3. रोस्को पाउंड (1870–1964):

- "सामाजिक इंजीनियरिंग" का सिद्धांत विकसित किया:
 - कानून सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी हितों (व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सामाजिक) में संतुलन स्थापित करता है।
 - वर्गीकृत रुचियाँ:
 - व्यक्तिगत रुचियाँ: व्यक्तिगत अधिकार (जैसे, गोपनीयता, संपत्ति)।
 - सार्वजनिक हितराज्य-संबंधी चिंताएँ (जैसे, सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य)।
 - सामाजिक हितसामूहिक कल्याण (जैसे, शिक्षा, समानता)।

- कानून निर्माण को निर्देशित करने के लिए "न्यायिक सिद्धांत" प्रस्तावित किए गए, जो सामाजिक अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।
- योगदान: सामाजिक प्रगति में कानून की भूमिका के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान की।

4. लियोन डुगुइट (1859–1928):

- कानून के आधार के रूप में "सामाजिक एकजुटता" पर जोर दिया तथा संप्रभुता-आधारित सिद्धांतों को खारिज कर दिया।
- कानून को वैधता सामाजिक आवश्यकताओं और परस्पर निर्भरता को पूरा करने की अपनी क्षमता से प्राप्त होती है।
- योगदान: राज्य प्राधिकरण से ध्यान हटाकर सामाजिक कार्य पर केन्द्रित किया गया।

भारतीय संदर्भ:

- समाजशास्त्रीय स्कूल भारत की कानूनी प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो सामाजिक कल्याण और न्याय को प्राथमिकता देता है:
 - संवैधानिक ढांचाराज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51) शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को बढ़ावा देकर सामाजिक इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं।
 - विधानशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और मनरेगा, 2005 जैसे सामाजिक कल्याण कानूनों का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में संतुलन स्थापित करना है।
 - न्यायिक सक्रियतान्यायालयों ने सामाजिक मुद्दों (जैसे, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता) को संबोधित करने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) का उपयोग किया है।
- व्यक्तिगत कानून सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुए हैं (उदाहरण के लिए, महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन)।

केस कानून:

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):

- सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए, जो लिंग आधारित सामाजिक हितों को संबोधित करके सामाजिक इंजीनियरिंग को प्रतिबिंबित करते हैं।

2. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985):

- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका के अधिकार को मान्यता दी गई, शहरी नियोजन में सार्वजनिक हितों के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को संतुलित किया गया।

3. एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1986):

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थिरता में सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए कठोर दायित्व लागू किया गया।

4. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984):

- जनहित याचिका के माध्यम से बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को संबोधित किया, सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण पर जोर दिया।

आलोचनाओं:

- **अस्पष्टता** "सामाजिक इंजीनियरिंग" की अवधारणा में सटीक मानदंडों का अभाव है, जिसके कारण व्यक्तिपरक व्याख्याएं होती हैं।
- **समाज पर अत्यधिक जोर** सामूहिक हितों के पक्ष में व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा कर सकते हैं।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ** भारत जैसे बहुलवादी समाज में विविध हितों में संतुलन बनाये रखना जटिल है।

5. यथार्थवादी स्कूल

परिभाषा और मूल सिद्धांत

यथार्थवादी स्कूल कानून को "अदालतें वास्तव में क्या करती हैं" के रूप में देखता है, जो अमूर्त नियमों या कानूनों पर न्यायिक निर्णयों और व्यावहारिक परिणामों पर जोर देता है। यह "किताबों में कानून" के बजाय "कार्रवाई में कानून" पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कानून को आकार देने में न्यायाधीशों के व्यवहार, सामाजिक संदर्भ और मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को उजागर करता है।

• मूल सिद्धांत:

- कानून का निर्धारण न्यायिक निर्णयों से होता है, न कि केवल विधानों या मिसालों से।
- न्यायाधीशों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, सामाजिक संदर्भ और व्यावहारिक विचार कानूनी परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- कानून गतिशील है, सामाजिक परिवर्तनों और वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग द्वारा आकार लेता है।
- न्यायिक व्यवहार और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुभवजन्य अध्ययन पर जोर।

- **केंद्र** न्यायालयों एवं समाज में कानून का व्यावहारिक संचालन।

प्रमुख विचारक:

1. ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर (1841-1935):

- अमेरिकी यथार्थवादी, "बुरे आदमी के सिद्धांत" के लिए जाने जाते हैं:
 - कानून वह है जो एक "बुरा आदमी" (नैतिकता से बेपरवाह व्यक्ति) अदालती फैसलों के आधार पर अपने कार्यों के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करता है।
- तर्क दिया गया कि कानून अनुभव से विकसित होता है, तर्क से नहीं।
- योगदान: औपचारिक नियमों से हटकर न्यायिक निर्णय लेने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

2. कार्ल लेवेलिन (1893-1962):

- न्यायाधीशों के व्यक्तिपरक कारकों के कारण न्यायिक निर्णयों की अप्रत्याशितता पर बल दिया।
- अदालती प्रथाओं के अनुभवजन्य विश्लेषण के माध्यम से "कार्यवाही में कानून" का अध्ययन करने की वकालत की।
- योगदान: वैधानिक कानून और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर पर प्रकाश डाला।

3. जेरोम फ्रैंक (1889-1957):

- "तथ्य संशयवादी" के रूप में जाने जाने वाले, उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक निर्णय प्रस्तुत तथ्यों पर निर्भर करते हैं, जो अक्सर अनिश्चित होते हैं।
- निर्णय लेने में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों पर जोर दिया गया (जैसे, न्यायाधीशों के पूर्वाग्रह, मनोदशा)।
- योगदान: न्यायिक निष्पक्षता के मिथक की आलोचना की।

4. स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी (उदाहरण के लिए, अल्फ रॉस, एक्सल हैगरस्ट्रॉम):

- कानून को एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में देखा, जो लोगों की दायित्व की भावना में निहित है।
- "अधिकार" जैसी आध्यात्मिक अवधारणाओं को महज मनोवैज्ञानिक रचना मानकर खारिज कर दिया।
- **योगदान:** कानून के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रदान किया।

भारतीय संदर्भ:

- यथार्थवादी विचारधारा भारत की न्यायिक सक्रियता और कानूनों की रचनात्मक व्याख्या में स्पष्ट है:
 - **न्यायिक सक्रियता** न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों का विस्तार किया है, तथा सामाजिक वास्तविकताओं (जैसे, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण अधिकार) के आधार पर कानून को आकार दिया है।
 - **संवैधानिक व्याख्या** अनुच्छेद 21 की सर्वोच्च न्यायालय की गतिशील व्याख्या, यथार्थवाद के व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रतिबिंबित करती है।
 - **रीति रिवाज** न्यायालय वास्तविक व्यवहार के आधार पर रीति-रिवाजों को मान्यता देते हैं, जो एर्लिच के "जीवित कानून" (यथार्थवाद का अग्रदूत) के साथ संरेखित है।
- वैधानिक कानूनों की व्याख्या अक्सर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले ढंग से की जाती है (उदाहरण के लिए, प्रदूषण के मामलों में पर्यावरण कानून)।

केस कानून:

1. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार किया, जो सख्त वैधानिक व्याख्या की तुलना में व्यावहारिक न्याय को प्राथमिकता देकर यथार्थवाद को दर्शाता है।

2. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):

- जनहित याचिका के माध्यम से विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, तथा दिखाया गया कि कानून सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होता है।

3. दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य (1991):

- न्यायिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यथार्थवाद के व्यावहारिक न्यायिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने को प्रतिबिंबित करता है।

4. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरों-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996):

- पर्यावरणीय क्षति के लिए दायित्व लागू किया गया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कानून कठोर नियमों के बजाय न्यायिक परिणामों पर आधारित है।

आलोचनाओं:

- न्यायिक विषयपरकता-न्यायाधीशों के विवेक पर अत्यधिक जोर देने से कानूनी निश्चितता कमजोर हो सकती है।
- औपचारिक कानून की उपेक्षा-न्यायिक निर्णयों को निर्देशित करने में कानूनों और मिसालों के महत्व की अनदेखी की जाती है।
- कम कार्य क्षेत्र-न्यायालयों पर ध्यान केन्द्रित करने से अन्य कानूनी संस्थाओं (जैसे, विधायिकाओं) की अनदेखी हो सकती है।

6. क्रिटिकल लीगल स्टडीज (सीएलएस)

परिभाषा और मूल सिद्धांत

क्रिटिकल लीगल स्टडीज (CLS) एक क्रांतिकारी न्यायशास्त्रीय आंदोलन है जो कानून को सत्ता असमानताओं, सामाजिक पदानुक्रमों और आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखने के एक उपकरण के रूप में आलोचना करता है। यह यथास्थिति सत्ता संरचनाओं को बनाए रखने में कानून की भूमिका को उजागर करके पारंपरिक कानूनी सिद्धांतों को चुनौती देता है।

● मूल सिद्धांत:

- कानून तटस्थ या वस्तुनिष्ठ नहीं होता बल्कि वह प्रभुत्वशाली समूहों (जैसे, अभिजात वर्ग, पूंजीपति) के हितों को प्रतिबिंबित करता है।
- कानूनी सिद्धांत और सिद्धांत अनिश्चित हैं, जो सत्ता की सेवा के लिए हेरफेर की अनुमति देते हैं।
- कानून निष्पक्षता की आड़ में सामाजिक असमानताओं (जैसे, वर्ग, लिंग, जाति) को वैध बनाता है।
- अधिक न्यायसंगत कानूनी प्रणाली बनाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव की वकालत करना।
- केंद्र-अंतर्निहित शक्ति गतिशीलता को उजागर करने के लिए कानूनी मानदंडों का विघटन।

प्रमुख विचारक:

1. डंकन कैनेडी (जन्म 1942):

- तर्क दिया गया कि कानूनी तर्क अनिश्चित है, जो वैचारिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है।
- शक्ति असंतुलन को छुपाने के लिए उदारवादी विधिवाद की आलोचना की।
- योगदान: असमानता को कायम रखने में कानून की भूमिका पर प्रकाश डाला।

2. रॉबर्टो उंगर (जन्म 1947):

- दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और बदलने के लिए कानून का उपयोग करते हुए "विचलनवादी सिद्धांत" की वकालत की।
- समानता की ओर पुनः उन्मुख होने पर सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून की क्षमता पर बल दिया।
- योगदान: आमूलचूल कानूनी सुधार के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया।

3. किम्बर्ले क्रेनशॉ (जन्म 1959):

- "अंतर्विभाजकता" विकसित की, जिसमें विश्लेषण किया गया कि कानूनी उत्पीड़न में जाति, लिंग और वर्ग किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं।
- योगदान: हाशिए पर पड़े समूहों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए सीएलएस का विस्तार किया गया।

4. मार्क टश्नेट (जन्म 1945):

- न्यायिक समीक्षा की आलोचना अभिजात वर्ग के नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में की गई, तथा तर्क दिया गया कि यह लोकतांत्रिक परिवर्तन को सीमित करता है।
- योगदान: संवैधानिक न्यायनिर्णयन की वैधता को चुनौती दी।

भारतीय संदर्भ:

- सीएलएस भारत की न्याय व्यवस्था के लिए प्रासंगिक है, जहां कानून ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक, पितृसत्तात्मक या अभिजात वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित करते रहे हैं:
 - औपनिवेशिक विरासत-ब्रिटिश कानून (जैसे, भारतीय दंड संहिता, 1860) औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करते थे तथा स्वदेशी प्रथाओं को हाशिए पर धकेलते थे।
 - व्यक्तिगत कानून-भेदभावपूर्ण प्रथाएं (जैसे, तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार) न्यायिक हस्तक्षेप तक लैंगिक असमानता को कायम रखती थीं।
 - आर्थिक असमानता-कॉर्पोरेट हितों (जैसे, भूमि अधिग्रहण) को बढ़ावा देने वाले कानून अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए नुकसानदेह होते हैं।
- न्यायिक सक्रियता ने जनहित याचिकाओं और प्रगतिशील निर्णयों (जैसे, लैंगिक समानता, पर्यावरण न्याय) के माध्यम से कुछ सी.एल.एस. चिंताओं को संबोधित किया है।
- नारीवादी और दलित आंदोलन जाति और लिंग पदानुक्रम को कायम रखने वाले कानूनों की आलोचना करके सीएलएस के साथ जुड़ते हैं।

केस कानून:

1. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- तीन तलाक को समाप्त किया, इसके पितृसत्तात्मक आधार की आलोचना की, तथा सीएलएस के लैंगिक असमानता पर ध्यान केन्द्रित किया।

2. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया तथा सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को मजबूत करने वाले कानूनों को चुनौती दी गई।

3. अनीता कुशवाह बनाम पुष्प सूदन (2016):

- न्याय तक पहुंच पर जोर दिया गया, तथा हाशिए पर पड़े समूहों को बाहर रखने वाली कानूनी प्रणालियों के बारे में सीएलएस की चिंताओं पर ध्यान दिया गया।

4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014):

- ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी गई, तथा कानून में अंतर्निहित द्विआधारी लिंग मानदंडों की आलोचना की गई।

आलोचनाओं:

- **नाइलीज़म** सीएलएस द्वारा कानून का विघटन रचनात्मक समाधान के बिना आलोचना प्रस्तुत कर सकता है।
- **शक्ति पर अत्यधिक जोर:** सामाजिक भलाई के लिए कानून की क्षमता को नजरअंदाज करने का जोखिम (जैसे, मानवाधिकार कानून)।
- **शैक्षणिक फोकस** से प्रायः सैद्धांतिक माना जाता है, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित होता है।

स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका: समाजशास्त्रीय, यथार्थवादी और आलोचनात्मक कानूनी अध्ययनों की तुलना

पहलू	समाजशास्त्रीय स्कूल	यथार्थवादी स्कूल	महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन
परिभाषा	सामाजिक इंजीनियरिंग के लिए एक उपकरण के रूप में कानून	न्यायिक निर्णय और परिणाम के रूप में कानून	कानून सत्ता और असमानता के साधन के रूप में
प्रमुख विचारक	कॉम्टे, एहर्लिच, पाउंड, डुगुइट	होम्स, लेवेलिन, फ्रैंक	केनेडी, अनगर, क्रेनशॉ, टशनेट
कानून का आधार	सामाजिक आवश्यकताएं और रुचियां	न्यायिक व्यवहार और व्यावहारिक परिणाम	सत्ता की गतिशीलता और सामाजिक पदानुक्रम
समाज की भूमिका	केंद्रीय; कानून सामाजिक हितों को संतुलित करता है	द्वितीयक; न्यायिक संदर्भ को आकार देता है	केंद्रीय; कानून अभिजात वर्ग के हितों को दर्शाता है
भारतीय आवेदन	सामाजिक कल्याण कानून, जनहित याचिकाएँ	न्यायिक सक्रियता, संवैधानिक मामले	लिंग, जाति और आर्थिक आलोचना
प्रमुख मामले	विशाखा, ओल्गा टेलेस	मेनका गांधी, हुसैनारा खातून	शायरा बानो, नवतेज जौहर
आलोचनाओं	अस्पष्ट, कार्यान्वयन में जटिल	व्यक्तिपरक, औपचारिक कानून की उपेक्षा करता है	शून्यवादी, अति सैद्धांतिक

फ्लोचार्ट: आधुनिक न्यायशास्त्रीय स्कूलों का विकास



परीक्षा रुझान और PYQs

यूजीसी नेट लॉ परीक्षा में आधुनिक न्यायशास्त्रीय विद्यालयों पर जोर दिया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक आधार, प्रमुख विचारकों और भारतीय अनुप्रयोगों का परीक्षण करने वाले प्रश्न होते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल हैं:

- **सैद्धांतिक प्रश्न:** अवधारणाओं की पहचान करना (उदाहरण के लिए, पाउंड की सामाजिक इंजीनियरिंग, होम्स का बुरा आदमी सिद्धांत, क्रेनशॉ की इंटरसेक्शनैलिटी)।
- **अनुप्रयोग-आधारित प्रश्न** स्कूलों को भारतीय मामलों से जोड़ना (उदाहरण के लिए, जनहित याचिकाओं में समाजशास्त्रीय स्कूल, न्यायिक सक्रियता में यथार्थवाद, लैंगिक समानता में सी.एल.एस.)।
- **तुलनात्मक प्रश्न:** आधुनिक स्कूलों की तुलना पारंपरिक स्कूलों से करना (जैसे, समाजशास्त्र बनाम प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद बनाम सीएलएस)।

नमूना PYQs:

2023:

प्रश्न: सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है?

- ए) ओलिवर वेंडेल होम्स बी) रोस्को पाउंड
सी) डंकन कैनेडी ड) कार्ल लेवेलिन

उत्तर: बी) रोस्को पाउंड

स्पष्टीकरण: पाउंड का सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत कानून को सामाजिक हितों को संतुलित करने वाला मानता है।

2022:

प्रश्न: कौन सा स्कूल "किताबों में कानून" की तुलना में "कार्रवाई में कानून" पर जोर देता है?

- ए) समाजशास्त्रीय स्कूल बी) यथार्थवादी स्कूल
सी) आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन डी) ऐतिहासिक स्कूल

उत्तर: बी) यथार्थवादी स्कूल

स्पष्टीकरण: होम्स और लेवेलिन के अनुसार, यथार्थवाद न्यायिक परिणामों पर केंद्रित होता है।

2021:

प्रश्न: कौन सा मामला क्रिटिकल लीगल स्टडीज की भेदभावपूर्ण कानूनों की आलोचना को दर्शाता है?

ए) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

बी) शायरा बानो बनाम भारत संघ

सी) ओल्गा टेलेस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

डी) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

उत्तर: बी) शायरा बानो

स्पष्टीकरण: तीन तलाक संबंधी फैसले ने सीएलएस के साथ तालमेल बिठाते हुए पितृसत्तात्मक कानूनी मानदंडों की आलोचना की।

प्रमुख मामले कानून

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):

- समाजशास्त्रीय स्कूल की सामाजिक इंजीनियरिंग को प्रतिबिंबित करते हुए यौन उत्पीड़न संबंधी दिशानिर्देश स्थापित किए गए।

2. ओल्गा टेलेस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985):

- आजीविका के अधिकारों को मान्यता दी गई, व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में संतुलन स्थापित किया गया (समाजशास्त्रीय)।

3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

- न्यायिक व्याख्या के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया, जिससे परिणामों पर यथार्थवाद का ध्यान केंद्रित हुआ।

4. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):

- विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर ध्यान दिया गया, जो यथार्थवाद के न्यायिक कार्रवाई पर जोर को दर्शाता है।

5. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- सीएलएस की पितृसत्तात्मक कानूनों की आलोचना के अनुरूप, तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया।


6. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया, तथा भेदभावपूर्ण मानदंडों के बारे में सी.एल.एस. की चिंताओं का समाधान किया गया।


7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014):

- ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी गई, बाइनरी जेंडर मानदंडों (सीएलएस) की आलोचना की गई।

ग्राफ: आधुनिक न्यायशास्त्रीय स्कूलों का प्रभाव



आरेख: प्रत्येक स्कूल के मूल सिद्धांत



निष्कर्ष

समाजशास्त्रीय, यथार्थवादी और आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन स्कूल समाज में कानून की भूमिका, न्यायिक प्रक्रियाओं और सत्ता की गतिशीलता पर आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। समाजशास्त्रीय स्कूल सामाजिक इंजीनियरिंग पर जोर देता है, यथार्थवादी स्कूल न्यायिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, और सीएलएस असमानता को बनाए रखने में कानून की भूमिका की आलोचना करता है। यूजीसी नेट जेआरएफ कानून के लिए, इन स्कूलों में महारत हासिल करने के लिए प्रमुख विचारकों, उनके सिद्धांतों और भारतीय मामलों में उनके आवेदन, विशेष रूप से जनहित याचिकाओं, संवैधानिक कानून और सामाजिक न्याय को समझना आवश्यक है।

कानून और नैतिकता

परिचय

कानून और नैतिकता के बीच संबंध न्यायशास्त्र में एक केंद्रीय विषय है, जो इस बात की खोज करता है कि कानूनी प्रणालियों को किस हद तक नैतिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए या उनसे अलग रहना चाहिए। UGC NET JRF कानून परीक्षा के लिए, यूनिट 1 के भीतर इस विषय का अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है जो उम्मीदवारों की सैद्धांतिक बहस (जैसे, हार्ट-फुलर बहस), प्रमुख विचारकों और भारतीय कानूनी संदर्भ में कानून-नैतिकता के परस्पर क्रिया के अनुप्रयोग की समझ की जांच करते हैं। यह व्यापक नोट एक संपूर्ण, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय संसाधन प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि UGC NET कानून परीक्षा में कोई भी प्रश्न इसके दायरे से बाहर न हो।

कानून और नैतिकता: वैचारिक आधार

परिभाषाएं

- **कानून:** नियमों की एक प्रणाली, जिसे राज्य तंत्र (जैसे, न्यायालय, पुलिस) द्वारा लागू किया जा सकता है, जो व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए मानव आचरण को विनियमित करता है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार, कानून "एक स्वीकृति द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश है।"
- **नैतिकता:** सिद्धांतों या मूल्यों का एक समूह, जो अक्सर नैतिकता, धर्म या सामाजिक मानदंडों में निहित होता है, जो सही और गलत की धारणाओं के आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। नैतिकता आमतौर पर राज्य द्वारा लागू नहीं की जा सकती जब तक कि इसे कानून में संहिताबद्ध न किया जाए।
- **मुख्य अंतर** कानून बाध्यकारी होता है और राज्य प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है, जबकि नैतिकता स्वैच्छिक होती है और सामाजिक या व्यक्तिगत प्रतिबंधों (जैसे, अपराध, सामाजिक बहिष्कार) के माध्यम से लागू की जाती है।

रिश्ते की प्रकृति

कानून और नैतिकता के बीच का अंतरसंबंध जटिल है, तथा न्यायविद और न्यायशास्त्र के स्कूल विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

1. **ओवरलैप** कुछ कानून नैतिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं (उदाहरण के लिए, हत्या के विरुद्ध कानून, हत्या पर नैतिक प्रतिबंधों के अनुरूप होते हैं)।
2. **विचलन** कानून नैतिकता के साथ टकराव में हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, गुलामी की अनुमति देने वाले ऐतिहासिक कानून नैतिक रूप से प्रतिकूल थे)।
3. **प्रभाव** नैतिकता अक्सर सामाजिक दबाव या विधायी सुधार (जैसे, भारत में सती प्रथा उन्मूलन) के माध्यम से कानून को आकार देती है।
4. **प्रवर्तन** कानून प्रवर्तनीय है, जबकि नैतिकता स्वैच्छिक अनुपालन या सामाजिक मानदंडों पर निर्भर करती है।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण:

- **प्राकृतिक कानून** कानून और नैतिकता अविभाज्य हैं; कानूनों को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों (जैसे, एक्विनास, लोके) के साथ संरेखित होना चाहिए।
- **विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद** कानून नैतिकता से अलग है; कानून की वैधता उसके स्रोत पर निर्भर करती है, न कि नैतिक सामग्री पर (उदाहरण के लिए, ऑस्टिन, हार्ट)।
- **समाजशास्त्रीय स्कूल** सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए कानून को सामाजिक नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए (उदाहरण के लिए, पाउंड)।
- **महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन** कानून अक्सर अनैतिक सत्ता संरचनाओं को छुपाता है, जिसके लिए नैतिक आलोचना की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, केनेडी, क्रेनशॉ)।

भारतीय संदर्भ:

- भारत की न्याय व्यवस्था बहुलवादी है, जिसमें वैधानिक कानून, संवैधानिक सिद्धांत और धार्मिक या नैतिक मानदंडों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों का सम्मिश्रण है:
 - **संवैधानिक नैतिकता** भारत का संविधान (1950) समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे नैतिक आदर्शों को मूर्त रूप देता है (जैसे, अनुच्छेद 14, 21)।
 - **व्यक्तिगत कानून** हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कानून नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं (उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, परिवार के नैतिक मानदंडों को दर्शाता है)।
 - **न्यायिक भूमिका** न्यायालय कानूनों को नैतिक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संवैधानिक नैतिकता का सहारा लेते हैं (जैसे, समलैंगिकता को अपराधमुक्त करना)।

प्रमुख सैद्धांतिक बहस

1. प्राकृतिक कानून बनाम विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद

नैतिकता के साथ कानून के संबंध पर बहस का सार हार्ट-फुलर वाद-विवाद है, जो प्राकृतिक कानून के नैतिक आधार की तुलना प्रत्यक्षवाद के पृथक्करण सिद्धांत से करता है।

प्राकृतिक कानून परिप्रेक्ष्य

- **मुख्य तर्क:** कानूनों को वैध होने के लिए नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अन्यायपूर्ण कानूनों में वैधता का अभाव होता है।
- **प्रमुख विचारक:**
 - **थॉमस एक्विनास** प्राकृतिक कानून (ईश्वरीय कारण से व्युत्पन्न) के विपरीत कानून सच्चे कानून नहीं हैं बल्कि "कानून का विकृतिकरण" हैं।
 - **लोन एल. फुलर:** तर्क दिया कि कानून में एक "आंतरिक नैतिकता" होती है (जैसे, स्पष्टता, स्थिरता, निष्पक्षता)। अपने प्रसिद्ध परिकल्पना में, फुलर ने नाजी कानूनों की वैधता पर सवाल उठाकर प्रत्यक्षवाद की आलोचना की, जो कानूनी रूप से लागू किए गए थे लेकिन नैतिक रूप से निंदनीय थे।

- **भारतीय आवेदन:**
 - **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)** सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता और मानवीय गरिमा का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कुछ हिस्सों को निरस्त कर दिया, जो कि प्राकृतिक कानून में नैतिक न्याय पर जोर देने को दर्शाता है।
 - **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** स्वायत्तता के अंतर्निहित नैतिक मूल्यों का आह्वान करते हुए गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद परिप्रेक्ष्य

- **मुख्य तर्क** कानून की वैधता उसके स्रोत (जैसे, संप्रभु प्राधिकरण) पर निर्भर करती है, न कि उसकी नैतिक सामग्री पर। कानून और नैतिकता अलग-अलग क्षेत्र हैं।
- **प्रमुख विचारक:**
 - **जॉन ऑस्टिन** कानून एक संप्रभु आदेश है, जिसे नैतिकता की परवाह किए बिना लागू किया जा सकता है।
 - **एचएलए हार्ट** कानून प्राथमिक और द्वितीयक नियमों की एक प्रणाली है, जो मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं द्वारा लागू किए जाने पर वैध है। हार्ट ने सामाजिक अस्तित्व के लिए "प्राकृतिक कानून की न्यूनतम सामग्री" (जैसे, हिंसा के खिलाफ बुनियादी नियम) को स्वीकार किया, लेकिन पृथक्करण सिद्धांत को बनाए रखा।
- **भारतीय आवेदन:**
 - **एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)** आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तथा अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें केवल प्रक्रियागत अनुपालन की आवश्यकता है, नैतिक निष्पक्षता की नहीं।
 - **श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ (2015)** आईटी अधिनियम की धारा 66ए को अस्पष्टता के कारण रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसमें नैतिक विषय-वस्तु के बजाय कानूनी वैधता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

हार्ट-फुलर वाद-विवाद

- **प्रसंग** यह बहस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी, जिसमें नाजी कानूनों की वैधता और "दुर्भावनापूर्ण मुखबिर" मामले (जहां एक महिला ने कानूनी प्रावधानों के तहत अपने पति की नाजी विरोधी टिप्पणियों की सूचना दी थी) को संबोधित किया गया था।
- **हार्ट की स्थिति:**
 - नाजी कानून वैध थे क्योंकि उन्हें मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियमित किया गया था।
 - नैतिकता अलग है; नैतिकता पर आधारित कानूनों को अमान्य करना अनिश्चितता पैदा करता है।
 - अनैतिक कृत्यों को कानूनी वैधता से वंचित करने के बजाय उन्हें दंडित करने के लिए पूर्वव्यापी कानून बनाने का सुझाव दिया।

- **फुलर की स्थिति:**
 - नाजी कानूनों में वैधता का अभाव था क्योंकि वे कानून की आंतरिक नैतिकता (जैसे, निष्पक्षता, प्रचार) का उल्लंघन करते थे।
 - कानूनों को सच्चे कानून माने जाने के लिए नैतिक मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है।
 - प्रक्रियागत नैतिकता पर जोर दिया गया (जैसे, कानून स्पष्ट, संभावित होने चाहिए)।
- **संकल्प:** यह बहस कानूनी निश्चितता (प्रत्यक्षवाद) और नैतिक न्याय (प्राकृतिक कानून) के बीच तनाव को उजागर करती है। भारत सहित आधुनिक कानूनी प्रणालियाँ संवैधानिक समीक्षा के माध्यम से दोनों दृष्टिकोणों को मिश्रित करती हैं।

2. डेवलिन-हार्ट वाद-विवाद

यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या कानून को सामाजिक नैतिकता को लागू करना चाहिए, विशेष रूप से व्यक्तिगत आचरण (जैसे, समलैंगिकता, वेश्यावृत्ति) में।

लॉर्ड डेवलिन की स्थिति

- **मुख्य तर्क** समाज की एक साझा नैतिकता होती है, और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए कानून को इसे लागू करना चाहिए। अनैतिक कार्य, चाहे निजी तौर पर ही क्यों न किए गए हों, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं।
- **प्रसंग** डेवलिन ने वोल्फेंडेन समिति की रिपोर्ट (1957) का जवाब दिया, जिसमें ब्रिटेन में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने की सिफारिश की गई थी।
- **प्रमुख बिंदु:**
 - समाज का नैतिक ताना-बाना उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
 - कानून को "विवेकशील व्यक्ति" के नैतिक मानकों को प्रतिबिम्बित करना चाहिए।
 - निजी अनैतिकता सार्वजनिक नैतिकता को कमजोर कर सकती है (उदाहरण के लिए, समलैंगिकता पारिवारिक मूल्यों के लिए खतरा है)।
- **भारतीय आवेदन:**
 - धारा 377 आईपीसी (2018 से पहले) जैसे ऐतिहासिक कानून डेवलिन के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करते हैं, जो सामाजिक नैतिकता के आधार पर "अप्राकृतिक" कृत्यों को अपराध मानते हैं।
 - व्यक्तिगत कानून अक्सर नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं (जैसे, हिंदू कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध)।

एचएलए हार्ट की स्थिति

- **मुख्य तर्क** कानून को नैतिकता को तब तक लागू नहीं करना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों को वास्तविक नुकसान न पहुंचे (मिल का नुकसान सिद्धांत)। निजी नैतिकता एक व्यक्तिगत मामला है।
- **प्रमुख बिंदु:**
 - नैतिकता लागू करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
 - समाज के नैतिक मानदंड विकसित होते रहते हैं; कानून को पुराने मानदंडों को पुराना नहीं बनाना चाहिए।
 - दूसरों को नुकसान पहुंचाना, न कि नैतिक अपराध, कानूनी हस्तक्षेप को उचित ठहराता है।

• भारतीय आवेदन:

- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया, जो हार्ट के इस विचार से मेल खाता है कि निजी आचरण को नुकसान न पहुँचाने पर अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
- एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल (2010) सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक पुलिसिंग को खारिज करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

भारतीय संदर्भ में कानून और नैतिकता

संवैधानिक नैतिकता

- परिभाषा: संवैधानिक नैतिकता से तात्पर्य संविधान में निहित नैतिक सिद्धांतों से है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, जो कानूनी व्याख्या का मार्गदर्शन करते हैं।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - जब सामाजिक या धार्मिक नैतिकता संवैधानिक मूल्यों के साथ टकराव में आती है तो यह उसे दरकिनार कर देती है।
 - मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14-32) और निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 36-51) में निहित।
 - न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित होना।
- ऐतिहासिक मामले:
 - नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) समलैंगिकता के प्रति सामाजिक नैतिक आपत्तियों पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया गया।
 - शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): लैंगिक समानता को संवैधानिक नैतिक अनिवार्यता बताते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया।
 - इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018): धार्मिक रीति-रिवाजों की अपेक्षा संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखते हुए सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई।

व्यक्तिगत कानून और नैतिकता

- हिंदू कानून: संहिताबद्ध कानून (जैसे, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) परिवार, विवाह और उत्तराधिकार के नैतिक मानदंडों को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन सुधार (जैसे, महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार) संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप होते हैं।
- मुस्लिम कानून: शरीयत द्वारा शासित, कुरान के नैतिक सिद्धांत विवाह, तलाक और विरासत को प्रभावित करते हैं। ट्रिपल तलाक प्रतिबंध जैसे सुधार संवैधानिक नैतिकता को दर्शाते हैं।
- ईसाई और पारसी कानून: नैतिक मूल्यों को शामिल करें लेकिन संवैधानिक जांच के अधीन हों (जैसे, तलाक कानून)।

केस लॉ:

- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995): अंतर-धार्मिक विवाहों में द्विविवाह की समस्या का समाधान किया गया, तथा व्यक्तिगत कानून की नैतिकता को संवैधानिक समानता के साथ संतुलित किया गया।
- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985): पारंपरिक शरीयत मानदंडों पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण प्रदान किया गया।

सामाजिक सुधार और नैतिकता

- ऐतिहासिक संदर्भ: औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के कानूनों ने अनैतिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया:
 - सती: विधवा दहन के विरुद्ध नैतिक आक्रोश को दर्शाते हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया।
 - बाल विवाह: बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929, तथा बाद में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिषिद्ध।
- आधुनिक सुधार:
 - दहेज निषेध अधिनियम, 1961: अनैतिक दहेज प्रथा को संबोधित करता है।
 - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: लिंग न्याय की नैतिक अनिवार्यता को प्रतिबिंबित करता है।

केस लॉ:

- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006): परिवारों या समुदायों की नैतिक आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी।
- शफीन जहां बनाम अशोकन केएम (2018): अंतर-धार्मिक विवाह को अमान्य करार देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, तथा व्यक्तिगत स्वायत्तता को प्राथमिकता दी।

प्रमुख मामले कानून

1. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):
 - समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया, तथा सामाजिक नैतिक आपत्तियों पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी गई।
2. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):
 - तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, जो धार्मिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता की प्राथमिकता को दर्शाता है।
3. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):
 - निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई तथा गरिमा और स्वायत्तता के नैतिक मूल्यों का आह्वान किया गया।
4. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018):
 - धार्मिक मानदंडों की अपेक्षा संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखते हुए सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई।